न्यायालय, राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

पीठासीन अधिकारी : डॉ0 भास्कर बिश्नोई, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या : 125/2025 G.C.M.S. No. 2025/580 दर्ज दिनांक : 28.08.2025

अपीलार्थी:

1. संतोष पुत्र जालुराम, आयु वयस्क, जाति मेघवाल, निवासी बर, तहसील रायपुर व जिला ब्यावर।

बनाम

प्रत्यर्थिगण:

1. अब्दुल रहमान, आयु वयस्क
2. न्याज मोहम्मद, आयु वयस्क
3. अब्दुल गफार, आयु वयस्क
4. अब्दुल हकीम, आयु वयस्क
5. इशाक मोहम्मद, आयु वयस्क पि. बाबूखां, जातियान धोबी मुसलमान, निवासीगण बर, तहसील रायपुर व जिला ब्यावर।
6. पीरूखां, आयु वयस्क
7. इब्राहीम मोहम्मद, आयु वयस्क
8. अब्दुल रजाक, आयु वयस्क पि. दीनाखां, जातियान धोबी मुसलमान, निवासीगण बर, तहसील रायपुर व जिला ब्यावर।

खाजूखां के कायम मुकाम:-

9. अजीज खां, आयु वयस्क के कायम मुकाम:-
   - 9/1 मुमताज पत्नि अजीज खां, आयु वयस्क
   - 9/2 रफीक मोहम्मद पुत्र अजीज खां, आयु वयस्क
   - 9/3 अशरफ मोहम्मद पुत्र अजीज खां, आयु वयस्क
   - 9/4 इदरीश पुत्र अजीज खां, आयु वयस्क
   - 9/5 तौफिक मोहम्मद पुत्र अजीज खां, आयु वयस्क, जातियान धोबी मुसलमान, निवासीगण बर, तहसील रायपुर व जिला ब्यावर।
10. अहमद खां, आयु वयस्क
11. सफीखां, आयु वयस्क
12. साबीरखां पि. खाजुखां, जातियान धोबी मुसलमान, निवासीगण बर, तहसील रायपुर व जिला ब्यावर।
13. जन्नत बानो पुत्री खाजूखां, आयु वयस्क
14. जेबुन बानो पुत्री खाजूखां, आयु वयस्क, जातियान धोबी मुसलमान, निवासीगण बर, तहसील रायपुर व जिला ब्यावर।

अब्दुल सत्तार के कायम मुकाम:-

15. असलमखां, आयु वयस्क
16. इमरानखां, आयु वयस्क
17. शोकत अली, आयु वयस्क पि. अब्दुल सत्तार
18. आमीन बानो पुत्री अब्दुल सत्तार, आयु वयस्क
19. रोशनी बानो पुत्री अब्दुल सत्तार, आयु वयस्क
20. बिलकिश बानो पत्नि अब्दुल सत्तार, आयु वयस्क
21. जावेद पुत्र रहमान, आयु वयस्क

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

22. रोशन पत्नि रहमान, आयु वयस्क, जातियान धोबी मुसलमान, निवासीगण बर, तहसील रायपुर व जिला ब्यावर।
23. हीरालाल पुत्र जालूराम, आयु वयस्क
24. किशोरकुमार पुत्र बाबूलाल, आयु वयस्क
25. संतोष पत्नि किशोरकुमार, आयु वयस्क, जातिगण मेघवाल, निवासी बर, तहसील रायपुर व जिला ब्यावर।
26. सरोज पत्नि गोविंदराम, आयु वयस्क, जाति मेघवाल, निवासी मेगड़दा

नोजी बेवा भगवान के कायम मुकाम:-

27. नारायणलाल पुत्र जालूराम गोदीपुत्र भगवानराम, जाति मेघवाल, निवासी बर, तहसील रायपुर व जिला ब्यावर।
28. घीसीदेवी पत्नि बस्तीराम, आयु वयस्क, जाति सरगरा, निवासी बिलाड़ा, जिला जोधपुर, राजस्थान।
29. तहसीलदार रायपुर
30. उप-पंजीयन अधिकारी, रायपुर, जिला ब्यावर, राजस्थान।

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध उपखंड अधिकारी जैतारण द्वारा राजस्व वाद संख्या 04/1999 (92/1999) बअनवान पीरू खां बनाम खाजू खां वगैरह में पारित निर्णय व अंतिम डिक्री दिनांक 28.07.2004 एवं प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 परिसीमा अधिनियम 1963 एवं धारा 96 सीपीसी

पैरोकार-

1. अपीलांट स्वयं।
2. श्री मोहम्मद शरीफ काजी, श्री सदाम काजी, श्री इमरान खान, श्री हिमालय परिहार, श्री जयदीपसिंह, श्री विक्रम कुमावत, विद्वान अभिभाषक रेस्पोंडेन्ट्स।

निर्णय

दिनांक: 29.05.2026

अपीलान्ट की ओर से जरिये अधिवक्ता यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत उपखंड अधिकारी जैतारण द्वारा राजस्व वाद संख्या 04/1999 (92/1999) बअनवान पीरू खां बनाम खाजू खां वगैरह में पारित निर्णय व अंतिम डिक्री दिनांक 28.07.2004 के विरूद्ध पेश की गई। प्रकरण संक्षेप में निम्नानुसार है-

यह कि हस्तगत प्रकरण में वक्त सेटलमेन्ट से पुश्तैनी खातेदारी भूमि राजस्व ग्राम-बिराटिया कलां के खसरा नम्बर 921 रकबा 9.15 बीघा, खसरा नम्बर 930 रकबा 8.14 बीघा 931 रकबा 22.11 बीघा कुल तीन खसरान् का कुल रकबा 41.00 बीघा भूमि दीनाखांजी के इन्तकाल के बाद दीनाखांजी के विधिक वारिसान् खाजूखां, सत्तारखां, रज्जाकखां, इब्राहीम, पीरुखां पिसरान् दीनाखांजी 1/2 हिस्सा, कौम धोबी तथा नोजी बेवा भगवान 1/8 हिस्सा, जालूराम पुत्र आईदानजी 1/8 हिस्सा, बाबूलाल पुत्र संग्रामजी 1/8 हिस्सा, कौम भांबी निवासी बर, श्रीमती घीसीदेवी पत्नि बस्तीरामजी 1/8 हिस्सा,

राजस्व अपील प्राधिकारी

कौम सरगरा, निवासी बिलाडा, जिला–जोधपुर बतौर खातेदार राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी संवत् 2058 से 2061 तक यथावत् वक्त सेटलमेन्ट से पुश्तैनी खातेदारी कब्जा–काश्त एवम् स्वामित्व की भूमि आई हुई हैं। रेस्पोंडेण्ट पीरूखां की ओर से माननीय अधीनस्थ न्यायालय में एक वाद बंटवाडा व निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि राजस्व सीमा बर में स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 228 रकबा 0.15 बिस्वा, खसरा नम्बर 229 रकबा 31.15 बीघा, खसरा नम्बर 230 रकबा 22.04 बीघा, खसरा नम्बर 423 रकबा 0.02 बिस्वा एवम् सरहद मौजा ग्राम–बिराटिया कलां की कृषि भूमि के खसरा नम्बर 924 रकबा 17.13 बीघा, 921 रकबा 9.15 बीघा, खसरा नम्बर 930 रकबा 8.14 बीघा, खसरा नम्बर 931 रकबा 22.11 बीघा स्वर्गीय दीनाखांजी की खातेदारी होने से माफिक वंशावली अनुसार रेस्पोडेण्ट संख्या 06 लगायत् 22 के भाईयों के सेटलमेन्ट से मुतनाजा जमीन पर शामलात काश्त करते आ रहे थें। मौके पर मौखिक रुप से भूमि अलग–अलग बंटी हुई हैं, मगर वैध सीमांकन के अभाव में भाई खाजूखां, अब्दुल सत्तार, रजाकखां, इब्राहीम मेडबन्दी को लेकर लडाई–झगड़ा करते हैं, उनके हिस्से में दखलअंदाजी करते हैं, इसलिये सम्पूर्ण कृषि भूमि का भाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के बंटवाडा किया जाकर अलग–अलग भूमि को राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किया जावें तथा उनके हिस्से में आई भूमि के कब्जा–काश्त की दखलअंदाजी को रोका जावें। उपरोक्त प्रकरण में अब्दुल सत्तार की ओर से जवाबदावा प्रस्तुत किया गया जहाँ बाद रेस्पोडेण्ट पीरुखांजी व दीनाखांजी के वारिसान् के मध्य दिनांक 24.08.2002 को राजीनामा प्रस्तुत किया गया, इस राजीनामा में दीनाखांजी के पाँचों पुत्रों के मध्य आपसी सहमति से अपने–अपने हिस्से के अनुसार बंटवाड़ा किये जाने में सहमति प्रदान की इस राजीनामा की पालना में दिनांक 28.07.2004 को माननीय अधीनस्थ न्यायालय ने अन्तिम डिक्री जारी कर/अन्तिम डिक्री एवं राजीनामा की प्रति तहसीलदार रायपुर को भेजकर इसकी पालना रिपोर्ट मंगवायी गयी। उक्त राजीनामा रेस्पोडेण्ट संख्या 01 लगायत् 04 ने अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद मात्र बंटवाड़ा व स्थायी निषेधाज्ञा था लेकिन अधिनस्थ न्यायालय ने उक्त राजीनामा के आधार पर खातेदारी अधिकार प्रदान कर उक्त आदेश सादिर किया है जो सादिर आदेश जैर अपील काबिल खारिज के हैं। उक्त सादिर आदेश में नोजी लाऔलाद फौत होने का हवाला देते हुये उनके कायम मुकाम की जाँच किये बिना ही अधीनस्थ न्यायालय ने सादिर आदेश जैर अपील निर्णय पारित किया हैं। भूमि का विभाजन व लगान सह–खातेदारान् के मध्य हिस्से अनुसार सही दर्ज नहीं किये गये। रेस्पोडेण्ट नोजी बेवा भगवान जो खातेदार काश्तकार थी को

राजस्व अपील प्राधिकारी

दावे में पक्षकार ही नहीं बनाया गया, रेस्पोडेण्ट नोजी बेवा भगवान दावा दायर से पूर्व दिनांक 19.11.1992 को नारायण पुत्र जालूरामजी गोदीपुत्र भगवानरामजी को गोद ले रखा था एवम् नोजी की मृत्यु दिनांक 01.06.1995 को ही मृत्यु हो चुकी थीं। मृतक का विधिक प्रतिनिधि नारायण पुत्र भगवानजी को भी कायम मुकाम में पक्षकार नहीं बनाया गया। दावा निर्णय दिनांक 28.07.2004 तथा निर्णय दिनांक 26.09.2008 को मृतक व्यक्ति के विरूद्ध डिक्री पारित की गयी तथा अनुसूचित जाति के सदस्यों की खातेदारी अधिकारों का अन्तरण अपने से भिन्न मुसलमान धोबी जाति के पक्ष में किया जाकर उनके स्वामित्व खातेदारी की कुल रकबा 10.05 बीघा भूमि से पूरा नाम व हिस्सा हटा दिये जो गम्भीर त्रुटि व आदेश में स्पष्ट अवैधानिकता प्रतीत है। रेस्पोडेण्ट संख्या 01 लगायत् 04 की ओर से माननीय अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जैतारण के प्रकरण संख्या 04/1999 (92/1999) अन्तिम डिक्री दिनांक 28.07.2004 अन्तिम डिक्री दिनांक 28.07.2004 की पालना हेतु आवेदन अन्तर्गत आदेश 21 नियम 11 सपठित धारा 151 सी.पी.सी. आवेदन प्रस्तुत किया जिसमें दिनांक 07.11.2023 को मूल प्रकरण का निस्तारण कर दिया गया, जिसकी पालना में नामान्तरण संख्या 2857/11.01.2024 दायर किया गया। यह है कि वक्त सेटलमेन्ट से पुश्तैनी खातेदारी भूमि नामान्तरण दायर से पूर्व जमाबन्दी संवत् 2074 से 2077 खाता संख्या 26, खसरा नम्बर 921, 930, 931 कुल रकबा 41.00 बीघा 1/2 के खातेदारान् मुसलमान धोबी जाति के तथा 1/2 अनूसुचित जाति के खातेदारान् के नाम से हिस्से अनुसार राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज दर्ज होकर यथावत रहा। निर्णय दिनांक 07.11.2023 की पालना में स्वीकृत नामान्तरण संख्या 2857/11.01.2024 के बाद नये बने खाता संख्या 26, 861, 862 में खसरा नम्बर 921, 930 सम्पूर्ण भाग से एवम् खसरा नम्बर 931 रकबा 2.11 बीघा सम्पूर्ण भाग से तथा खसरा नम्बर 931 रकबा 20.10 बीघा 1/4 हिस्से से समस्त अनुसूचित जाति के खातेदारान् के पूरे नाम व हिस्से हटाकर अपने से भिन्न जाति मुसलमान धोबी के पक्ष में खातेदारी अभिधारियों के हितों का अन्तरण कर 1/4 हिस्से की 10.05 बीघा भूमि कम दर्ज कर दी, जो विधि के अनुसार परिवर्तनीय नहीं है, जो गम्भीर त्रुटि और डिक्री/आदेश से स्पष्ट अवैधानिकता प्रतीत है। अपीलाण्ट को दिनांक 07.08.2025 को ऑनलाईन कम्प्युटर की नकल प्राप्त करने पर जानकारी हुई कि फिर अपीलाण्ट ने दिनांक 08.08.2025 को नकल हेतु आवेदन पेश किया जो नकल दिनांक 08.08.2025 को प्राप्त होने तथा वकील साहब को पढ़ाने पर वकील साहब ने कहा कि इसकी अपील पाली में होगी, फिर वकील मेहनताना व अपील

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

तैयार करवाकर आज नकल दिनांक से अन्दर अवधि पेश की जा रही हैं। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर जैर अपील निर्णय व डिक्री अपास्त फरमावें।

म्याद एवं अपील प्रस्तुत करने की अनुमति के बिंदु पर निर्णय सुरक्षित रखते हुए अपील अपीलांट दर्जा रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेंट्स व अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया।

प्रकरण में अपीलांट द्वारा लिखित बहस प्रस्तुत की। हमनें अपीलांट एवं विद्वान अधिवक्तागण रेस्पोंडेंट्स की बहस सुनी एवं लिखित तथा मौखिक बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण का विस्तृत विवेचना व निर्णयन निम्नानुसार है–

1. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय उपखंड अधिकारी जैतारण द्वारा राजस्व वाद संख्या 04/1999 (92/1999) बअनवान पीरू खां बनाम खाजू खां वगैरह में पारित निर्णय व अंतिम डिक्री दिनांक 28.07.2004 के विरूद्ध हस्तगत अपील, अपील प्रस्तुत करने के आवेदन के साथ दिनांक 28.08.2025 को विलंब के साथ प्रस्तुत की गई।

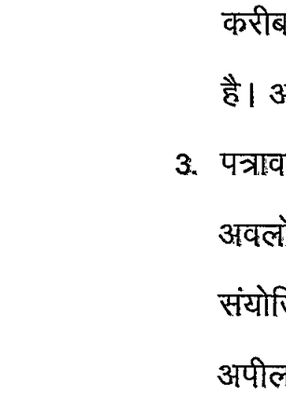

2. अपीलांट द्वारा अपील प्रस्तुत करने की अनुमति बाबत आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रश्नगत वाद में अपीलांट के पिता जालूराम पुत्र आईदान पक्षकार थें, जिनका देहांत करीब 8 वर्ष पूर्व हो चुका है। जालूराम के वारिस के रूप में अपीलांट आवश्यक पक्षकार है। अतः अपीलांट को अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान करावें।
3. पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख व प्रश्नगत निर्णय व डिक्री दिनांक 22.12.2003 के अवलोकन मात्र से स्पष्ट है कि अपीलांट के पिता प्रतिवादी संख्या 11 के रूप में पक्षकार संयोजित है। अपीलांट प्रतिवादी संख्या 11 का वारिस है। अतः अपीलाधीन प्रकरण में अपीलांट का हित निहित है। अतः अपीलांट प्रकरण में आवश्यक व हितबद्ध पक्षकार है। लिहाजा, प्रार्थना पत्र सारवान होने से स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जाती हैं।
4. अपीलांट द्वारा विलंबकाल माफ करने के लिए धारा 5 परिसीमा अधिनियम का प्रार्थना पत्र पेश कर मुख्य रूप से यह निवेदन किया कि रेस्पोंडेण्ट संख्या 01 लगायत् 04 की ओर से माननीय अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जैतारण के प्रकरण संख्या 04/1999 (92/1999) अन्तिम डिक्री दिनांक 28.07.2004 अन्तिम डिक्री दिनांक 28.07.2004 की पालना हेतु आवेदन अन्तर्गत आदेश 21 नियम 11 सपठित धारा 151 सी.पी.सी. आवेदन प्रस्तुत किया जिसमें दिनांक 07.11.2023 को मूल प्रकरण का निस्तारण कर दिया गया, जिसकी पालना में नामान्तरण संख्या 2857/11.01.2024 दायर किया गया।

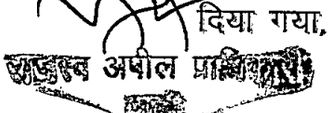

यह है कि वक्त सेटलमेन्ट से पुश्तैनी खातेदारी भूमि नामान्तरण दायर से पूर्व जमाबन्दी संवत् 2074 से 2077 खाता संख्या 26, खसरा नम्बर 921, 930, 931 कुल रकबा 41.00 बीघा 1/2 के खातेदारान् मुसलमान धोबी जाति के तथा 1/2 अनूसुचित जाति के खातेदारान् के नाम से हिस्से अनुसार राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज दर्ज होकर यथावत रहा। निर्णय दिनांक 07.11.2023 की पालना में स्वीकृत नामान्तरण संख्या 2857/11.01.2024 के बाद नये बने खाता संख्या 26, 861, 862 में खसरा नम्बर 921, 930 सम्पूर्ण भाग से एवम् खसरा नम्बर 931 रकबा 2.11 बीघा सम्पूर्ण भाग से तथा खसरा नम्बर 931 रकबा 20.10 बीघा 1/4 हिस्से से समस्त अनुसूचित जाति के खातेदारान् के पूरे नाम व हिस्से हटाकर अपने से भिन्न जाति मुसलमान धोबी के पक्ष में खातेदारी अभिधारियों के हितों का अन्तरण कर 1/4 हिस्से की 10.05 बीघा भूमि कम दर्ज कर दी, जो विधि के अनुसार परिवर्तनीय नहीं है, जो गम्भीर त्रुटि और डिक्री/आदेश से स्पष्ट अवैधानिकता प्रतीत है। अपीलाण्ट को दिनांक 07.08.2025 को ऑनलाईन कम्प्युटर की नकल प्राप्त करने पर जानकारी हुई कि फिर अपीलाण्ट ने दिनांक 08.08.2025 को नकल हेतु आवेदन पेश किया जो नकल दिनांक 08.08.2025 को प्राप्त होने तथा वकील साहब को पढ़ाने पर वकील साहब ने कहा कि इसकी अपील पाली में होगी, फिर वकील मेहनताना व अपील तैयार करवाकर आज नकल दिनांक से अन्दर अवधि पेश की जा रही हैं। अतः अपील अपीलांट अंदर म्याद शुमार फरमावें।

5. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलांट द्वारा अपीलाधीन निर्णय व अंतिम डिक्री जो दिनांक 28.07.2004 को अधीनस्थ न्यायालय उपखंड अधिकारी जैतारण द्वारा पारित किया गया, के विरुद्ध दिनांक 28.08.2025 को लगभग 21 वर्ष 1 माह अर्थात 7695 दिवस के अत्यंत दीर्घ विलंब के साथ हस्तगत अपील प्रस्तुत की गई तथा विलंब के कारण के रूप में अपीलांट द्वारा यह कथन करना कि उसे अपीलाधीन आदेश की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 07.08.2025 को हुई, पूर्णतया भ्रामक, मनगढ़ंत व काल्पनिक कथन है। जो विश्वास योग्य नहीं हैं। अपीलाधीन निर्णय व डिक्री में अपीलांट के पिता स्वयं बतौर प्रतिवादी पक्षकार संयोजित थें तथा अपीलांट अपने पिता की मृत्यु के करीब 8 वर्ष पश्चात हस्तगत अपील प्रस्तुत करते हुए यह कथन कर रहा है कि उसे दिनांक 07.08.2025 को जानकारी हुई। अपीलांट अपने पिता के फुटस्टेप के रूप में तथा अपीलांट के पिता स्वयं प्रतिवादी पक्षकार थें। अतः परिसीमा अवधि से संबंधित प्रावधान अपीलांट के लिए पृथक से लागू नहीं हो सकते। अपीलांट द्वारा विलंब के लिए कोई युक्तियुक्त, सद्भाविक व समुचित

राजस्व अपील प्राधिकारी

कारण दर्शित नहीं किए हैं तथा न ही दिन–प्रतिदिन के विलंब के लिए कोई कारण दर्शाया है। अतः ऐसी स्थिति में विलंबकाल माफीयोग्य नहीं हैं।

6. विलंबकाल माफ करने के लिए धारा 5 परिसीमा अधिनियम 1963 के संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय व राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा अधोलिखित प्रकरणों में पारित अभिमत व विनिश्चय अवलोकनीय है :–

1. 2007 (2) RRT 939 (S.C.) – Limitation Act, 1963-Sec. 5-condonation of delay-In-ordinate delay of 3320 days in filing appeal-Delay not properly and satisfactorily explained- Court can not condone the delay on sympathetic grounds-No reason given to condone the inordinate delay-Held, Order is not sustainable and set aside.

2. 2017 (1) RRT 117 (Raj. H.C.) - Limitation Act, 1963-Sec. 5 – Condonation of delay of 2344 days in filing appeal in action or indolence of the part of the litigant- liberal approach can not be adopted otherwise it may render the law of limitation nugatory and otiose – No sufficient cause to explain the delay, Held application and appeal are liable to dismiss.

3. 2024 RBJ 396 (S.C.) – Section 5 & 3 – As the provision of section 3 of limitation act appeal which is prefered after the expiry of limitation is liable to be dismissed. the use of word "shall" in the aforsaid provision cannotes that the dismissal is mandatory subject to the exception section 3 of the act is peremptory and had to be given effect to even though no objection regarding limitation is taken by the other side or refered to in the pleadings. In other words, it casts an obligation upon the court to dismiss and appeal which is beyond limitation. This is general rule of limitation.

4. 2024 RBJ 463 (S.C.) – Section 5 - It hardly matters whether a litigant is a private party or a State or Union of India when it

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

comes to condoning the gross delay of more than 12 years- If the litigant chooses to approach the court long after the lapse of the time prescribed under the relevant provisions of the law- then he cannot turn around and say that no prejudice would be caused to either side by the delay being condoned- This litigation between the parties started sometime in 1981- We are in 2024- Almost 43 years have elapsed- However, till date the respondent has not been able to reap the fruits of his decree- It would be a mockery again ask the respondent to undergo the rigmarole of the legal of justice if we condone the delay of 12 years and 158 days and once proceedings- (ii) The question of limitation is not merely a technical consideration- The rules of limitation are based on the principles of sound public policy and principles of equity- We should not keep the 'Sword period of time to be determined at the whims and fancies of the of Damocles' hanging over the head of the respondent for indefinite appellants. Appeal dismissed

7. हमनें माननीय न्यायालयों द्वारा उपर्युक्त प्रकरणों में प्रतिपादित अभिमत का ससम्मान अध्ययन व अवलोकन किया। हस्तगत प्रकरण की प्रकृति व परिस्थितियां उपर्युक्त प्रकरणों के समान है तथा माननीय न्यायालयों द्वारा प्रतिपादित उपर्युक्त अभिमत हस्तगत प्रकरण में हूबहू चस्पा होते हैं। हस्तगत प्रकरण में प्रार्थी अपीलांट द्वारा अपील प्रस्तुत करने में अविश्वसनीय रूप से **7695 दिवस** का अत्यंत दीर्घ विलंब कारित किया है। प्रार्थी द्वारा विलंबकाल माफ करने के लिए तथा विलंब के कारणों के रूप में दर्शित आधार विश्वसनीय, युक्तियुक्त व स्वीकार योग्य नहीं होकर वस्तुतः प्रार्थी की लापरवाही व घोर उदासीनता के कारण विलंब घटित होना साबित है। साथ ही अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधिविरूद्ध नहीं हैं। अतः ऐसी स्थिति में विलंबकाल माफ किये जाने योग्य नहीं हैं तथा प्रार्थी के साथ किसी भी दृष्टि से उदार रूख अपनाया जाना परिसीमा अधिनियम 1963 के विधिक प्रावधानों व मंशा के विपरीत होगा।

8. अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर हमारा विनम्र मत है कि **7695 दिवस का अत्यंत दीर्घ विलंबकाल** माफीयोग्य नहीं होने से प्रार्थी द्वारा विलंबकाल माफ किये जाने हेतु

राजस्व अपील प्राधिकारी

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 परिसीमा अधिनियम 1963 बखूबी साबित नहीं होता है। अतः प्रार्थना पत्र खारिज किया जाना तथा इसके फलस्वरूप अपील अपीलांट परिसीमा अवधि से बाधित होने से इसी स्तर पर खारिज किया जाना पूर्णतया विधिसम्मत व उचित होगा।

आदेश

अतः निष्कर्षतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 परिसीमा अधिनियम 1963 एवं प्रार्थना पत्र बाबत अपील प्रस्तुत करने की अनुमति, बखूबी साबित नहीं होने एवं सारहीन होने से खारिज/अस्वीकार किया जाता है, फलस्वरूप अपील अपीलांट अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 इसी स्तर पर खारिज/अस्वीकार की जाती हैं। निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख प्रेषित किया जावें। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित की जाकर बाद तकमील संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 29.05.2026 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर व न्यायालय मुहर सर–ए–इजलास सुनाया गया।

(डॉ0 भास्कर बिश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली